संख्या-30 /2018/ 2050/46-3-18-3(34-ए)/2018

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उ.प्र., लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 06 दिसम्बर, 2018**

विषय- चीनी एवं शीरा के बाजार मूल्य में हुई गिरावट व अन्य कारणों को दृष्टिगत रखते हुए एवं किसानो के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु, पेराई सत्र 2017-18 में खरीदे गये गन्ने की मात्रा के सापेक्ष रु.4.50 प्रति कुन्टल की दर से चीनी मिलों को वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवितरित धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने हेतु प्राप्ति लेखा शीर्ष के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-13/2018/1697/46-3-18-3(37)/2018 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018, शासनादेश संख्या-21/2018/1999/46-3-18-3(37)/2018 दिनांक 28 नवम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-27/2018/2086/46-3-18-3(37)/2018 दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 तथा वित्तीय सहायता के मद में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवितरित धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने हेतु प्राप्ति लेखा शीर्ष का निर्धारण किये जाने के अनुरोध विषयक अपने पत्र संख्या-97/लेखा- बजट (चीनी)/2018-19, दिनांक 27 नवम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में वित्त विभाग के परामर्शानुसार, चीनी मिलों को राज्य सरकार की ओर दी जा रही वित्तीय सहायता के मद में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवितरित धनराशि को अधोलिखित प्राप्ति लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा:-

वित्तीय सहायता के मद में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवितरित धनराशि की वापसी हेतु प्राप्ति लेखा शीर्ष
0852- उद्योग - **80- सामान्य -** **800- अन्य प्राप्तियां-** **99- अन्य प्राप्तियां-**

3- कृपया चीनी मिलों को राज्य सरकार की ओर दी जा रही वित्तीय सहायता के मद में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवितरित धनराशि को उपर्युक्त प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

राकेश कुमार मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या-30 /2018/ 2050/46-3-18-3(34-ए)/2018 ,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ.प्र. शासन।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
8- महासचिव, उ.प्र. शुगर मिल्स एसोसियेशन, चिन्टल हाउस, लखनऊ।
9- समस्त परिक्षेत्रीय-उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- समस्त अध्यासी, निजी क्षेत्र की चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश। **(द्वारा-गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ के माध्यम से)**
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/ वित्त (आय ब्ययक) अनुभाग-1/2 , उ.प्र. शासन।
13- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
14- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

कमल किशोर गुप्त
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।